

राजस्थान-सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(1)ग्रावि/आईएवाई/मार्गदर्शन/गुप-5/2015-16

जयपुर, दिनांक 7.08.2015

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
समस्त, जिला परिषद,  
राजस्थान।

विषय:- इंदिरा आवास योजना (वर्ष 2015-16) के क्रियान्वयन बाबत महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश।

प्रसंग:- राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति बैठक दिनांक 15.07.2015 में लिये गये निर्णय।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में आयोजित प्रासांगिक बैठक में माननीय जन प्रतिनिधि एवं उच्चाधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश प्रदान किये गये। उक्त बैठक में इन्दिरा आवास योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा में सामने आया है की, यूसी/सीसी के समय पर नहीं भिजवाये जाने के कारण योजना की दूसरी व तीसरी किश्त का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है, इस कारण से वर्ष 2011-12 तक के आवास अपूर्ण है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपूर्ण आवास शीघ्र पूर्ण कराते हुए पंचायत समिति स्तर पर किश्त हस्तान्तरण की विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया के द्वारा शीघ्रताशीघ्र आवास पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

(राजीव सिंह ठाकुर)  
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, सयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रावि।
5. निजी सचिव, शासन सचिव पंरावि।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
7. सयुक्त शासन सचिव (प्रशा.), ग्रावि।
8. वित्तीय सलाहकार ग्रावि।
9. परियोजना अधिकारी एवं पदेन उपसचिव (मो. एवं मू)।

Programmer  
upload it  
H  
10/8

d:\parags\official\word-doc\letter.docx

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

A.P.  
11/8/15